Allocation of Kerosene to Orissa

7799. SHRIMATI ILA PANDA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what are the reasons that the present monthly allocation of Kerosene by Government of India to the State of Orissa is the lowest in the entire country?

(b) whether it is a fact that the present allocation is 20041 K.L. i.e. only 0.63 litre per capita; and

(c) what is Government's stand on the proposal made by the State Government to (i) enhance the P.D.S. allocation of kerosene to 25000 K.L. (ii) allocation of separate quota of 5000 K.L. for industrial use?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA) (a) to (c) Kerosene is allocated to the States on historical basis and hence per capita allocation depends on past consumption. For the year 1994-95, Orissa has been given an increase of 10.8% over that for the year 1993-94, highest for any State, against the 3% growth given on all India basis. The allocations for the year 1993-94 and 1994-95 are 173952 MTs and 192784 MTs respectively. The per capita availability per annum for 1993-94 and 1994-95 is 7.05 litres and 7.83 litres respectively. Govt. does not make any separate allocation for industrial use.

बिहार में रसोई गैस के वितरण में अनियमिततायें

7800. **श्री कामेश्वर पासवान:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में रसोई गैस के वितरकों द्वारा की गयी अनियमितताओं और गैस स्टोव की जबरन बिक्री के संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन के क्षेत्रीय कार्यालय और मंत्रालय को पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) इनमें से अब तक निपटायी जा चुकी शिकायतों तथा अभी लंबित शिकायतों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) ऐसे रसोई गैस वितरकों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ माननीय संसद सदस्यों ने भी मंत्रालय के पास शिकायतें दर्ज करायी है, तथा इन पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या इस तरह भी गंभीर अनियमितताओं संबंधी शिकायतें इंडियन आयल कारपोरेशन के वितरक, मैसर्स पार्वती गैस सर्विस, सीवान बाजार के खिलाफ भी प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो त्रस्त उपभोक्ताओं एवं संसद सदस्यों की शिकायतों के बावजूद इस वितरक के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का सीवान नगर में किसी रसोई गैस वितरक को नियुक्त करने का विचार है?

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान बिहार में डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध गैस स्टोव की जबरदस्ती बिक्री सहित अनियमितताओं के कुल 244 शिकायतें प्राप्त हुई। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने शिकायतों की जांच पड़ताल की है और जहां शिकायत साबित हुई है वहां बाजार अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। जांच पड़ताल के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं है।

(ग) से (ङ) माननीय संसद सदस्यों से बिहार में इंडियन ऑयल कार्पो० लि० के डिस्ट्रीब्यूटरों (नामतः मैसर्स पार्वती गैस सर्विस, सिवान और मैसर्स पंचा गैस सर्विस, खगड़िया) के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आई ओ सी ने मैसर्स पार्वती गैस सर्विस, सिवान को बाजार अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार चेतावनी पत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त इस डिस्ट्रब्यूटर के माध्यम से नए कनेक्शनों का जारी किया जाना भी रोक दिया गया है। मैसर्स पंचा गैस सर्विस, खगड़िया के विरुद्ध शिकायतें साबित नहीं हो सकीं।

(च) जी, हां।